

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा  
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 325/2024  
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2024/476

अनवान

- 1- भंवर पिता धन्ना जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- महावीर पिता धन्ना जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- बद्री पिता उदा जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- रामकुमार पिता लक्ष्मण जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- रामकिशन पिता लक्ष्मण जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- रामप्रकाश पिता धन्ना जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- मांगू पिता रघुनाथ जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- माधू पिता मिश्री जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 23/08/2024

उपस्थित :-

श्री रामप्रसाद जाट : अधिवक्ता प्रार्थीगण

::- निर्णय -::

दिनांक : 15/10/2025

1. वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के पेश किया। संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम चलानिया प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.32 है0, 1674/53 रकबा 0.15 है0, 1678/67 रकबा 0.22 है0, 54 रकबा 1.58 है0, 68 रकबा 0.24 है0 कुल कित्ता 5 रकबा 2.51 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण दिनांक 31.07.2024 को अपनी आराजियात पर हांकने गये तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस कारण प्रार्थीगण के वाद हेतु तारीख 31/07/2024 से पैदा होकर जारी है। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण 1, 2, 5 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा विपक्षीगण सं. 3, 4, 6 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिकता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम चलानिया प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.32 है0, 1674/53 रकबा 0.15 है0, 1678/67 रकबा 0.22 है0, 54 रकबा 1.58 है0, 68 रकबा 0.24 है0 कुल कित्ता 5 रकबा 2.51 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान में आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश बक्षावें।
3. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से प्रार्थीगण वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.32 है0, 1674/53 रकबा 0.15 है0, 1678/67 रकबा 0.22

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

है0, 54 रकबा 1.58 है0, 68 रकबा 0.24 है0 कुल किता 5 रकबा 2.51 है0 के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण में पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम चलानिया प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.32 है0, 1674/53 रकबा 0.15 है0, 1678/67 रकबा 0.22 है0, 54 रकबा 1.58 है0, 68 रकबा 0.24 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर रिकार्ड अनुसार माप करवाते हुए प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक लूलांस को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। उभयपक्षकारान में से किसी की भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। यदि कोई सहखातेदार जो इस पत्रावली में प्रार्थी के तौर पर पक्षकार नहीं है एवं पत्थरगढी की कार्यवाही पर आपत्ति दर्ज करवाता है तो पत्थरगढी कारवाई नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं न्यायालय का स्थगन होने की दशा में पत्थरगढी की कारवाई नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण भूमि पर अन्य काश्तकार/व्यक्ति काबिज है तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्थरगढी से पूर्व समस्त पक्षकारान(किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान) को सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।



( सुनील कुमार मीणा )  
सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजावें।

सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा